168

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 2431/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.10.2014 एवं 21.11.2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तह. व जिला खरगौन प्रकरण क्रमांक क्यू./रा.नि./2014.

---

1. लोकेश पिता स्व. श्री दत्तात्रेय जागीरदार
   निवासी नवगृह मंदिर, खरगौन, म.प्र.
2. लक्ष्मीकांत पिता स्व. श्री दत्तात्रेय जागीरदार
   निवासी नवगृह मंदिर, खरगौन, म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. बाबूसिंह पिता श्री गणस्या भिलाला,
   निवासी स्नेह नगर, बड़वानी,
   तह. व जिला बड़वानी, म.प्र.
2. राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2
   तहसील व जिला खरगौन, म.प्र.
3. म.प्र. शासन द्वारा जिलाधीश,
   खरगौन कलेक्टर कार्यालय, खरगौन, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री के.एल. जैन, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री हेमंत खोड़े, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 31/10/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तह. व जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2014 एवं 21.11.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा ग्राम औरंगपुरा स्थित भूमि खसरा क्र. 34 रकबा 0.284 हैक्टेयर भूमि के सीमांकन के लिए पटवारी हल्का नं. 42, तहसील खरगौन, जिला खरगौन के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र पर से तहसीलदार, जिला खरगौन ने कोई आदेश पारित नहीं किया, इसके बावजूद राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2 खरगौन द्वारा अवैधानिक रूप से दिनांक 21.11.2014 को मौका पंचनामा बनाते हुए इस पंचनामे में यह लेख किया कि सर्वे नं. 34 पर पैकी रकबा 0.035 एकड़ अर्थात् 0.141 हैक्टेयर पर पूर्व से नवगृह मंदिर पूजा सामग्री की दुकान स्थित है। उक्त सीमांकन की कोई जानकारी आवेदकगण को नहीं दी गई और उन्हें उक्त सीमांकन की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 12.05.2016 को तहसीलदार के न्यायालय से प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आवेदकगण द्वारा दिनांक 06.06.2016 को सीमांकन प्रकरण की सम्पूर्ण नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और उन्हें दिनांक 08.06.2016 को नकलें प्राप्त हुई। तदनुसार जानकारी दिनांक से उक्त सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) संहिता की धारा 41 के तहत बनाये गये राजस्व पदाधिकारियों तथा राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया के नियम 4 के उपनियम 2 के अनुसार कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला राजस्व अधिकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम दर्शाते हुए या यदि ऐसा आवेदन पत्र डाक से प्राप्त हुआ हो तो उस पर उस आशय के तथ्य का कथन करते हुए और यदि आवेदन पत्र उसके मुख्यालय से भिन्न किसी अन्य स्थान पर प्राप्त हुआ हो तो ऐसे स्थान का नाम दर्शाते हुए पृष्ठांकन करेगा, जबकि इस प्रकरण में तहसीलदार ने उक्त प्रावधानों की पूर्ति नहीं की है, सबब उनके द्वारा की गई कार्यवाहियां दूषित हैं।

(2) संहिता की धारा 41 के तहत कोई भी जांच प्रारंभ की जाने या कार्यवाही से पूर्व प्रथम उपक्रम पर (सबसे पहले) उसका संव्यवहार करने वाला न्यायालय द्वारा उस प्रकरण का रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में तहसीलदार ने कोई प्रकरण ही पंजीबद्ध नहीं किया है।

(3) संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन के संबंध में बनाये गये नियमों के नियम क्र. 3(ग) के तहत राजस्व पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में जिस भूमि का सीमांकन

कराया जाना हो, उससे लगे हुए सर्वेक्षण, संख्यांकों, उपखण्डों अथवा भूखण्डांक को दर्शित करने वाला ब्यौरा आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में तहसीलदार ने उक्त प्रावधानों की पूर्ति नहीं की है, सबब उनके द्वारा की गई कार्यवाहियां दूषित हैं।

(4) संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन के संबंध में बनाये गये नियमों के नियम क्र. 5 के अनुसार आवेदन की प्राप्ति होने पर तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अथवा ग्राम के पटवारी द्वारा नाप करायेगा, जबकि इस प्रकरण में तहसीलदार ने उक्त प्रावधानों की पूर्ति नहीं की है, सबब उनके द्वारा की गई कार्यवाहियां दूषित हैं।

(5) तहसीलदार ने कथित सीमांकन करने के लिए राजस्व निरीक्षक को कोई आदेश ही नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा किया गया कथित सीमांकन अवैध है।

(6) प्रकरण में आवेदकगण को कथित सीमांकन हेतु कोई सूचना पत्र ही जारी नहीं किया गया है। कथित सीमांकन आवेदकगण की अनुपस्थिति में किया गया होने से प्रकरण की समस्त कार्यवाहियां सारवान अनियमितता युक्त हैं।

(7) प्रकरण में संलग्न पंचनामा से यह स्पष्ट है कि उस पर कहीं भी आवेदकगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कथित सीमांकन अवैध है।

(8) प्रकरण में कोई फील्डबुक भी निर्मित नहीं की गई है और न ही कोई नक्शा बनाया गया है, जिसमें कथित अतिक्रमण रकबे को दर्शाया गया हो।

उक्त तर्कों के समर्थन में 1977 आर.एन. 384, 2006 आर.एन. 218, 1988 आर.एन. 105, 2002 आर.एन. पेज 126 पद 2, 1988 आर.एन. 187, 2007(1) एम.पी.ए.सी.जे. 241 एवं 1988 आर.एन. 308 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर राजस्व प्र.क्र. क्यू./रा.नि./2014 में दिनांक 09.10.2014 एवं 21.11.2014 की समस्त कार्यवाहियां/आदेश निरस्त कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वह उभयपक्ष को पूर्व सूचना देकर उनकी उपस्थिति में पुन: सीमांकन करें।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन कर आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वरा आवेदकगण को बिना सूचना दिये उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है। उपरोक्त स्थिति में आलोच्य आदेश की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है। अत: विलंब के संबंध में दर्शाया गया कारण उचित होने से यह निगरानी समय-सीमा में ग्राह्य की जाती है। इस संबंध में 1988 आर.एन. 187 रामसिंह तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "नैसर्गिक न्याय-के सिद्धांत-हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित-नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण है-ऐसे व्यक्ति को आदेश आबद्धकर नहीं है।"

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय की ओर इस निर्देश के साथ वापिस किया जाता है कि वह समस्त पड़ोसी कृषक सहित उभय पक्ष को सूचना पत्र की विधिवत् तामील कराई जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में विधिवत् सीमांकन की कार्यवाही करे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, वृत्त-2, तह. व जिला खरगौन द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2014 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर